न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 18 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 68

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1 छोगाराम पुत्र मानारामजी	1 भूराराम पुत्र वरजांगाराम
2 हंजारी पुत्र मानारामजी फौत	फौत के कायम मुकाम
के कायम मुकाम	अ–कुंपाराम पुत्र भूराराम
अ–कल्पेश पुत्र हंजारी	ब–सोनाराम पुत्र भूराराम
ब–दिनेश पुत्र हंजारी	स–अणदाराम पुत्र भूराराम
स–सतु पत्नी हंजारी	द–छोगाराम पुत्र भूराराम
जातियान–लुहार, साकिनान्	जातियान–लौहार, साकिनान्–
प्रतापपुरा, तहसील–सांचौर	प्रतापपुरा, तहसील–सांचौर
	2 भूमिधारी तहसीलदार सांचौर, जिला–जालोर
	3 शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक शाखा सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 04.04.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जूनेजा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 (अ, ब, स, द) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 17.09.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व गांव बालाजी की ढ़ाणी, पटवार हल्का गोलासन में नवीन खसरा संख्या 131 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसर संख्या 132 रकबा 1.92 हैक्टेयर, खसरा संख्या 140 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 140 रकबा 2.95 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रथम सेटलमेंट में खसरा संख्या 131, 132, 139 की भूमि में वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर लिया लेकिन खसरा संख्या 140 की 6 बीघा भूमि में गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता भूरा वल्द वरजांगा का नाम दर्ज कर दिया, जिसकी वजह से [illegible] वरजांगा ने खसरा संख्या 140 की 6 बीघा भूमि प्रार्थीगण के मालिकाना व हक हकूक [illegible] के कारण दिनांक 08.08.1997 को एक इकरारनामा भी प्रार्थी छो[illegible] प्रार्थीगण के पिता हंजारी के पक्ष में लिखकर दिया है। खसरा संख्या 140 में 6 बीघा भूमि के उतर में प्रार्थीगण [illegible] खेत, दक्षिण में खुंमा वल्द गमना का खेत, पूर्व में भूरा वल्द वरजांगा की बची हुई भूमि तथा पश्चिम में देवा पुत्र रतना का खेत आया हुआ है। अप्रार्थीगण गलत रूप से अपने नाम दर्ज हुई भूमि को गलत रूप से बेचान करने तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमदा है तथा प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

नाम खसरा संख्या 140 में से 6 बीघा भूमि दर्ज करवाने में आना कांनी कर रहे है, जिसके कारण प्रार्थीगण खसरा संख्या 140 में से 6 बीघा भूमि अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी होने से दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा का तथा जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय अदालत में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सफल होने का प्रार्थीगण को पूर्ण रूप से संभावना है मगर मूल वाद के निर्णय में लम्बा समय लगेगा। ऐसी सूरत में यदि अप्रार्थीगण को अविलम्ब जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो अप्रार्थीगण विधि विरूद्व ढंग से प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन डण्डे के बल कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों पैसों में किया जाना कतई मुमकीन नहीं होगा जबकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की भूमि है तथा उस पर प्रार्थीगण का सहज व शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग व कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीगण खेतीबाड़ी करते आ रहे है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण कानूनियां अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी होने से प्रार्थना–पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें कि वांके सरहद मौजा बालाजी की ढ़ाणी, पटवार हल्का गोलासन में स्थित आराजी नवीन खेत खसरा नंबर 140 में स्थित प्रार्थीगण की 6 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त, रहवास में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन ही करें तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1(अ) ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन, बलहीन होने से सादर खारिज फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 (ब, स, द) ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन, बलहीन होने से सादर खारिज फरमावें।

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी एवं मालिकाना हकहकूक की होने का कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थीगण वादग्रस्त आरा[illegible]डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया कि ग्राम बा[illegible] 140 से प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। उक्त आ[illegible] तथा उक्त आराजी पर मेरा कब्जा पीढ़ियों से चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रथम सेट[illegible] से हमारे एवं हमारे पूर्वजों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण की कोई रहवासीय ढ़ाणी बनी हुई नहीं है, लगान भी हम अप्रार्थीगण द्वारा अदा किया जा रहा है। खसरा संख्या 140 के संपूर्ण भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा है तथा संपूर्ण भूमि मौके पर एक चक में आई हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
जिला जालोर

उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है, पैतृक भूमि में प्रत्येक वारिश का अंश एवं कण पर अधिकार रहता है। उक्त भूमि में मौके पर आज भी हम अप्रार्थीगण की रहवासीय ढ़ाणियां बनी हुई है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है तथा वादग्रस्त आराजी से संबंधित हकहकूक का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात निर्धारण के पश्चात साक्ष्य सबूतों के आधार पर होगा। राजस्व मण्डल अपने अनेक न्याय निर्णयन में यह निर्धारित किया है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं कि जा सकती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रथम मामला उनके पक्ष में बखूबी सिद्ध होता है।

<u>सुविधा का संतुलन :–</u> प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होने का कथन किया है परन्तु पत्रावली में इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार एवं उनका निरन्तर कब्जा काश्त है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति सिद्ध होता है।

<u>अपूरणीय क्षति :–</u> पूर्व विवेचित बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुके है। वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संयुक्त रिकॉर्डेड खातेदारान् का कृषि आदान अनुदान, बैक से लोन प्राप्ति, रहनमुक्ति एवं कृषि भूमि के विकास आदि से वंचित हो जायेंगे। इस प्रकार खातेदारान् को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है, अतः यह बिन्दू बहक अप्रार्थीगण भली भांति साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिकॉर्डेड खातेदारान् के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित एवं विधिसंगत नहीं समझते है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों कानूनी बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **17.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जिला जालोर